संख्या-9/2015-वे0आ0-2-194/दस-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2015

विषय:- पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग के पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार करने का निर्णय लिया गया :--

(1) पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/- में किसी संशोधन का कोई औचित्य नहीं है।

(2) वर्तमान में पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों के लिये पदोन्नति हेतु उपलब्ध वरिष्ठ कुक्कुट निरीक्षक एवं प्रेक्षत्र प्रबन्धक (कुक्कुट) के पदों के अतिरिक्त पशुधन प्रसार अधिकारी के वर्तमान में उपलब्ध 3126 पदों में से 500 पदों को वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड -2 रु0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- में तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत कर दिया जाय। वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी के इन पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाये एवं इस व्यवस्था का समावेश "उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुक्कुट विकास सेवा नियमावली,2013" में करते हुये संशोधित नियमावली शीघ्र प्रख्यापित करायी जाय।

(3) पशुधन विभाग द्वारा विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी के इन पदों के कार्य दायित्व का निर्धारण एवं तुलनात्मक रुप से अधिक कार्यक्षेत्र वाले तैनाती स्थलों के चयन/ चिन्हांकन के आदेश अलग से निर्गत किये जाये।

2- उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-9/2015-वे0आ0-2-194(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011,टी0सी0, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखन को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।